

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

:: आदेश ::

क्रमांक : 429 / दो-11-28 / 2024

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2024

इस न्यायिक जिला स्थापना पर शीघ्रलेखक के रिक्त 01 पद पर मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम 2016 के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन दिनांक 28 जून, 2019 के नियम 19(चार) के अनुपालन में विभागीय पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन दिनांक 11.03.2024 के अनुसार श्री नीरज कुमार परते, स्टेनोग्राफर ग्रेड-दो की स्टेनोग्राफर के पद पर वेतनमान 28700-91300 (लेवल-7) में स्थानापन्न रूप से, दो वर्ष की परीक्षा पर पदोन्नति की जाती है।

नोट- (1) पदोन्नति आदेश के पालन में अन्य आदेश होने तक वर्तमान पदस्थापना वाले पद पर पदस्थ रहते हुए पदोन्नति पद पर उपस्थिति का प्रतिवेदन 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(2) मध्यप्रदेश शासन के नियमों के अधीन संबंधित शासकीय सेवक को निर्देशित किया जाता है कि यदि वह वेतन निर्धारण के संबंध में विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा पदोन्नति पर उपस्थिति दिनांक के आधार पर वेतन निर्धारण किया जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक-11/03/2024

पृष्ठांकन क्रमांक-1787/2024

प्रतिलिपि :-

01. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल,
02. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल,
03. संबंधित शासकीय सेवकगण
04. लेखापाल, जिला न्यायालय/परिवार न्यायालय/सहा.लेखापाल/कार्यालयीन लिपिक कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल(म.प्र.)
05. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय (भोपाल) की ओर माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

भोपाल (म.प्र.)

01C

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

:: आदेश ::

क्रमांक : ५३० / दो-11-28 / 2024

भोपाल, दिनांक 11 मार्च, 2024

इस न्यायिक जिला स्थापना पर स्टेनोग्राफर ग्रेड-दो के रिक्त 30 पदों पर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक सी/3560/दो-15-42/94(डी.ई.) जबलपुर, दिनांक 11.07.2022 में दिये गये निर्देशानुसार मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2016 के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन दिनांक 28 जून, 2019 के नियम 20 अनुसार 15 प्रतिशत अर्थात् 05 पद परीक्षा लेकर पदोन्नति के लिये सुरक्षित रखते हुये शेष रिक्त 25 पदों में से 21 पदों पर नियम 19 (चार) के अनुपालन में विभागीय पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन दिनांक 11.03.2024 के अनुसार निम्नांकित स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन को स्टेनोग्राफर ग्रेड-दो के पद पर वेतनमान 28700-91300 (लेवल-7) में अस्थायी व स्थानापन्न रूप से दो वर्ष की परीक्षा पर पदोन्नति की जाती है:-

क्र0	शासकीय सेवक का नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पद
01	श्री शुभम जोशी	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
02	श्री विक्रम यादव	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
03	श्री आकाश केरहालकर	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
04	कुमारी नायला बानो	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
05	कुमारी शिवानी राजा चौहान	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
06	श्रीमती प्रीति लानगे/अरुणाकर	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
07	कुमारी रीति बुआड़े	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
08	कुमारी नाजिस बानो	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
09	कुमारी लवली कटारे	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
10	श्री मुशाहिद रजा	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
11	श्रीमती नसरीन साहिल	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
12	कुमारी मोनिका डहरवाल	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
13	कुमारी उमा रजक/श्रीवास	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
14	श्री करण सिंह पाल	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
15	श्री पुष्पेन्द्र जैन	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
16	श्री कृष्ण कुमार लोधी	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
17	श्री रविन्द्र साहू	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
18	श्रीमती पूनम पाल	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
19	श्रीमती दीपमाला अहीर	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो

क्र०	शासकीय सेवक का नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पद
20	श्रीमती रश्मि बर्मन	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो
21	श्रीमती सुरभि गुप्ता	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो

- नोट— (1) पदोन्नति आदेश के पालन में अन्य आदेश होने तक वर्तमान पदस्थापना वाले पद पर पदस्थ रहते हुए पदोन्नति पद पर उपस्थिति का प्रतिवेदन 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
(2) मध्यप्रदेश शासन के नियमों के अधीन संबंधित शासकीय सेवक को निर्देशित किया जाता है कि यदि वह वेतन निर्धारण के संबंध में विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा पदोन्नति पर उपस्थिति दिनांक के आधार पर वेतन निर्धारण किया जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक—¹⁷⁸⁸...../2024
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक—²¹/03/2024

01. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल,
02. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल,
03. संबंधित शासकीय सेवकगण
04. लेखापाल, जिला न्यायालय/परिवार न्यायालय/सहा.लेखापाल/कार्यालयीन लिपिक कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल(म.प्र.)
05. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय (भोपाल) की ओर माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

012

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल(म0प्र0)

// आदेश //

क्रमांक...५३१.../दो-11-34/24

भोपाल, दिनांक 11 मार्च, 2024

इस न्यायिक जिला स्थापना पर रीडर ग्रेड-एक के रिक्त 05 पदों पर रजिस्ट्री झापन क्रमांक सी/3560/दो-15-42/94 (डी.ई.) जबलपुर, दिनांक 11.07.2022 में दिये गये निर्देशानुसार मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2016 के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन दिनांक 28 जून, 2019 के नियम 20 अनुसार 15 प्रतिशत अर्थात् 01 पद परीक्षा लेकर पदोन्नति के लिये सुरक्षित रखते हुये शेष रिक्त 04 के पदों पर नियम 19(चार) के अनुपालन में विभागीय पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन दिनांक 11.03.2024 के अनुसार निम्नांकित रीडर ग्रेड-दो को रीडर ग्रेड-एक के पद पर वेतनमान 36200-114800 (लेवल-9) में अस्थायी व स्थानापन्न रूप से दो वर्ष की परीक्षा पर पदोन्नति की जाती है:-

क्र0	शासकीय सेवक का नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पद
01	श्री सलमान खान	रीडर ग्रेड-दो	रीडर ग्रेड-एक
02	श्री दीपक पाठक	रीडर ग्रेड-दो	रीडर ग्रेड-एक
03	श्री आनंद सिंह रावत	रीडर ग्रेड-दो	रीडर ग्रेड-एक
04	कुमारी चित्रा नायडू	रीडर ग्रेड-दो	रीडर ग्रेड-एक

- नोट:- (1) पदोन्नति आदेश के पालन में अन्य आदेश होने तक वर्तमान पदस्थापना वाले पद पर पदस्थ रहते हुए पदोन्नति पद पर उपस्थिति का प्रतिवेदन 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
(2) मध्यप्रदेश शासन के नियमों के अधीन संबंधित शासकीय सेवक को निर्देशित किया जाता है कि यदि वह वेतन निर्धारण के संबंध में विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा पदोन्नति पर उपस्थिति दिनांक के आधार पर वेतन निर्धारण किया जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)
भोपाल, दिनांक-11/03/2024

पृष्ठांकन क्रमांक-1789/2024
प्रतिलिपि :-

01. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल,
02. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल,
03. संबंधित शासकीय सेवकगण
04. लेखापाल, जिला न्यायालय/परिवार न्यायालय/सहा.लेखापाल/कार्यालयीन लिपिक कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल(म.प्र.)
05. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय (भोपाल) की ओर माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल(म0प्र0)

// आदेश //

क्रमांक...132 / दो-11-34 / 24

भोपाल, दिनांक 11 मार्च, 2024

इस न्यायिक जिला स्थापना पर रीडर ग्रेड-दो के रिक्त 06 पदों पर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक सी/3560/दो-15-42/94 (डी.ई.) जबलपुर, दिनांक 11.07.2022 में दिये गये निर्देशानुसार मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम 2016 के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन दिनांक 28 जून, 2019 के नियम 20 अनुसार 15 प्रतिशत अर्थात् 01 पद परीक्षा लेकर पदोन्नति के लिये सुरक्षित रखते हुये शेष रिक्त 05 के पदों पर नियम 19(चार) के अनुपालन में विभागीय पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन दिनांक 11.03.2024 के अनुसार निम्नांकित सहायक ग्रेड-दो को रीडर ग्रेड-दो के पद पर वेतनमान 28700-91300 (लेवल-7) में अस्थायी व स्थानापन्न रूप से दो वर्ष की परीक्षा पर पदोन्नति की जाती है:-

क्र0	शासकीय सेवक का नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पद
01	श्री संजन कुमार सिंह	सहायक ग्रेड-दो	रीडर ग्रेड-दो
02	श्री रामबाबू शर्मा	सहायक ग्रेड-दो	रीडर ग्रेड-दो
03	श्रीमती मधु साहू	सहायक ग्रेड-दो	रीडर ग्रेड-दो
04	श्री दीपक फूलबांधे	सहायक ग्रेड-दो	रीडर ग्रेड-दो
05	श्री महेन्द्र मिस्त्री	सहायक ग्रेड-दो	रीडर ग्रेड-दो

नोट:- (1) पदोन्नति आदेश के पालन में अन्य आदेश होने तक वर्तमान पदस्थापना वाले पद पर पदस्थ रहते हुए पदोन्नति पद पर उपस्थिति का प्रतिवेदन 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(2) मध्यप्रदेश शासन के नियमों के अधीन संबंधित शासकीय सेवकों को निर्देशित किया जाता है कि यदि वह वेतन निर्धारण के संबंध में विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा पदोन्नति पर उपस्थिति दिनांक के आधार पर वेतन निर्धारण किया जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक-11/03/2024

पृष्ठांकन क्रमांक-1790/2024

प्रतिलिपि :-

01. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल,
02. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल,
03. संबंधित शासकीय सेवकगण
04. लेखापाल, जिला न्यायालय/परिवार न्यायालय/सहा.लेखापाल/कार्यालयीन लिपिक कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल(म.प्र.)
05. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय (भोपाल) की ओर माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

भोपाल (म.प्र.)

o/c

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल(म0प्र0)

// आदेश //

कमांक-1791/दो-11-34/24

भोपाल, दिनांक 11 मार्च, 2024

इस न्यायिक जिला स्थापना पर सहायक ग्रेड-दो के रिक्त 06 पदों पर रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक सी/3560/दो-15-42/94 (डी.ई.) जबलपुर, दिनांक 11.07.2022 में दिये गये निर्देशानुसार मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम 2016 के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन दिनांक 28 जून, 2019 के नियम 20 अनुसार 15 प्रतिशत अर्थात् 01 पद परीक्षा लेकर पदोन्नति के लिये सुरक्षित रखते हुये शेष रिक्त 05 में से 04 पदों पर नियम 19(चार) के अनुपालन में विभागीय पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन दिनांक 11.03.2024 के अनुसार निम्नांकित नायब नाजिर/सहायक ग्रेड-तीन की सहायक ग्रेड-दो के पद पर वेतनमान 25300-80500 (लेवल-6) में अस्थायी व स्थानापन्न रूप से दो वर्ष की परीक्षा पर पदोन्नति की जाती है:-

कं0	शासकीय सेवक का नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पद
01	कुमारी शमीम बानो	नायब नाजिर	सहायक ग्रेड-दो
02	श्री अरुण सिंह चौहान	नायब नाजिर	सहायक ग्रेड-दो
03	श्री केवल किशोर श्रीवास्तव	नायब नाजिर	सहायक ग्रेड-दो
04	श्री सुधाकर रोकड़े	सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो

- नोट:- (1) पदोन्नति आदेश के पालन में अन्य आदेश होने तक वर्तमान पदस्थापना वाले पद पर पदस्थ रहते हुए पदोन्नति पद पर उपस्थिति का प्रतिवेदन 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
(2) मध्यप्रदेश शासन के नियमों के अधीन संबंधित शासकीय सेवक को निर्देशित किया जाता है कि यदि वह वेतन निर्धारण के संबंध में विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा पदोन्नति पर उपस्थिति दिनांक के आधार पर वेतन निर्धारण किया जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक-1791/2024
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक-11/03/2024

01. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल,
02. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल,
03. संबंधित शासकीय सेवकगण
04. लेखापाल, जिला न्यायालय/परिवार न्यायालय/सहा.लेखापाल/कार्यालयीन लिपिक कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल(म.प्र.)
05. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय (भोपाल) की ओर माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

012

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल(म0प्र0)

//आदेश//


क्रमांक 434 / दो-11-34 / 24

भोपाल, दिनांक 11 मार्च, 2024

जिला न्यायपालिका स्थापना पर नायब नाजिर के रिक्त 04 पद में से रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक सी/3560/दो-15-42/94(डी.ई.) जबलपुर, दिनांक 11.07.2022 में दिये गये निर्देशानुसार 15 प्रतिशत अर्थात् एक पद मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती तथा सेवा शर्त) नियम 2016 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 28 जून 2019 के नियम 20 के अनुसार विभागीय परीक्षा से पूर्ति के लिये सुरक्षित रखते हुए शेष रिक्त तीन पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन दिनांक 11.03.2024 में की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित शासकीय सेवकों को सहायक ग्रेड-तीन से नायब नाजिर के पद पर वेतनमान 22100-70000 (लेवल-5) में अस्थायी व स्थानापन्न रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर पदोन्नति की जाती है:-


क्रमांक	शासकीय सेवकगण का नाम	वर्तमान धारित पद	पदोन्नत पद
01	श्री कपिल श्रीवास	सहायक ग्रेड-3	नायब नाजिर
02	श्री अशोक कुमार चौरागढ़े	सहायक ग्रेड-3	नायब नाजिर
03	श्रीमती स्वामि डोंगरे	सहायक ग्रेड-3	नायब नाजिर

- नोट:- (1) पदोन्नति आदेश के पालन में अन्य आदेश होने तक वर्तमान पदस्थापना वाले पद पर पदस्थ रहते हुए पदोन्नति पद पर उपस्थिति का प्रतिवेदन 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
(2) मध्यप्रदेश शासन के नियमों के अधीन संबंधित शासकीय सेवक को निर्देशित किया जाता है कि यदि वह वेतन निर्धारण के संबंध में विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा पदोन्नति पर उपस्थिति दिनांक के आधार पर वेतन निर्धारण किया जावेगा।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)
भोपाल, दिनांक-11/03/2024

पृष्ठांकन क्रमांक-1792/2024
प्रतिलिपि :-

01. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल,
02. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल,
03. संबंधित शासकीय सेवकगण
04. लेखापाल, जिला न्यायालय/परिवार न्यायालय/सहा.लेखापाल/कार्यालयीन लिपिक कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल(म.प्र.)
05. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय (भोपाल) की ओर माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित है।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)